



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24032020-218904
CG-DL-E-24032020-218904

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1078]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 24, 2020/चैत्र 4, 1942

No. 1078]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 24, 2020/CHAITRA 4, 1942

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(उपभोक्ता मामले विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मार्च, 2020

का.आ. 1207(अ).—केन्द्र सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की उप-धारा 2क और धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कोविड-19 वायरस से होने वाले संक्रमण (इंफेक्शन) की रोकथाम के लिए मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई), मास्क, मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई) के उत्पादन में कच्ची सामग्री के रूप में उपयोग किए जाने वाले मेल्ट ब्लोन नोन-वोवन फैब्रिक और अन्य सामग्रियों की कीमतों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात्:-

- (1) इस आदेश को मास्क (2 प्लाई एवं 3 प्लाई), मेल्ट ब्लोन नोन-वोवन फैब्रिक और हैंड सैनिटाइजर की कीमतों का निर्धारण (संशोधन) आदेश, 2020 कहा जाएगा।
(2) यह शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- का.आ. सं. 1197(अ) दिनांक 21.03.2020, में पैरा 2(2) के नीचे निम्नलिखित पैरा जोड़ा जाता है।
'(अ) 3 प्लाई सर्जिकल मास्क, जिसमें मेल्ट ब्लोन नोन-वोवन फैब्रिक का अस्तर लगा हो, की खुदरा कीमत 16/- रुपये प्रति मास्क से अधिक नहीं होगी।'
- यह अधिसूचना शासकीय राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से दिनांक 30 जून, 2020 तक की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. एस-26/1/2020-ईसीआरएंडई]

अवधेश कुमार चौधरी, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION**(Department of Consumer Affairs)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 24th March, 2020

S.O. 1207(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section 2A and section 3, of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government, hereby makes the following Order, to regulate the prices of masks (2ply & 3ply), the Melt Blown non-Woven Fabric (MBNWF) and other materials used as raw material in production of masks, masks (2ply & 3ply) for preventing infections due to COVID-19 virus namely:—

1. (1) This order may be called the fixation of prices of masks (2ply & 3ply), Melt Blown non-Woven Fabric and Hand Sanitizers (Amendment) Order, 2020.
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Official Gazette.
2. The following para is added below para 2 (2) of S.O. No. 1197(E) dated 21.03.2020
'(A) The retail prices of 3ply surgical mask contain a layer of Melt Blown non-Woven Fabric shall not be more than Rs.16/- per piece'.
3. This Notification shall remain in force for a period up to 30th June, 2020 from the date of its publication in the Official Gazette.

[F. No. S-26/1/2020-ECR&E]

A. K. CHOUDHARY, Economic Adviser